
	भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) भारत सरकार मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002	 मानक: पथप्रदर्शकः
---	---	--

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक और भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग एवं प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि गतिविधियां संचालित करता है। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानकीकरण एवं प्रमाणन गतिविधियां संचालित करता है।

बीआईएस वैज्ञानिक - 'बी' के पद हेतु प्रतिभाशाली और उत्साही युवा व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट शाखाओं तथा वर्गों में उत्कृष्ट कैरियर का अवसर प्रदान करता है। ये पद सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 10 में हैं और यथा लागू भत्ते भी देय हैं। वर्तमान में, दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सकल परिलब्धियां लगभग ₹ 87,525/- होंगी। महत्वपूर्ण सेवा शर्तों के लिए **अनुबंध-1** देखें।

1. **पदों की संख्या:** नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न शाखाओं में कुल रिक्तियों की संख्या 28 हैं:-

शाखा	रिक्तियों की संख्या (बैकलॉग की रिक्तियों सहित)						बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (बैकलॉग रिक्तियों सहित) के लिए क्षैतिज आरक्षण
	कुल	अनारक्षित	अ. पि. वर्ग	अनु.जा	अनु. ज. जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
सिविल इंजीनियरिंग	13	05	04	01	02	01	01 एचआई 01 आईडी एंड एमआई/एमडी
इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग	02	01	01	00	00	00	-
इन्वाइरनमेंटल इंजीनियरिंग	02	01	01	00	00	00	-
रसायन	07	02	02	01	01	01	01 एचआई
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग	04	02	01	00	01	00	-
कुल	28	11	09	02	04	02	03

संक्षिप्त रूप:

यूआर: अनारक्षित	ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग	एससी: अनुसूचित जाति	पीडब्ल्यूबीडी: बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति
एसटी: अनुसूचित जनजाति	एक्सएसएम- भूतपूर्व सैनिक	ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	एचआइ- मूक बधिर आईडी एंड एमआई/एमडी-ऑटिज्म/ मानसिक मंदता/ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी/ मानसिक रोगी/ बहु निशाक्तता

सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।

अनिवार्य योग्यता :

विषय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	संबंधित गेट (GATE) विषय और इसके कोड
सिविल इंजीनियरिंग	1) न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ (अजा, अजजा के लिए 50%) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या समकक्ष में स्नातक डिग्री। 2) 2019/2020/2021 के (GATE) * परीक्षा के वैध अंक। 25.06.2021 (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख) तक गेट के अंक वैध होने चाहिए।	सिविल इंजीनियरिंग (सीई)
इन्सट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग		इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग (आईएन)
इन्वाइरमेंटल इंजीनियरिंग		इन्वाइरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग(ईएस)
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग		टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फ़ाइबर साइंस (टीएफ)
रसायन	1) न्यूनतम 60% प्राप्तांक के साथ (अजा, अजजा के लिए 50%) प्राकृतिक विज्ञान या समकक्ष (केवल रसायन में) में परास्नातक डिग्री। 2) 2019/2020/2021 के (GATE) परीक्षा के वैध अंक। 25.06.2021 (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख) तक गेट के अंक वैध होने चाहिए।	रसायन (सीवाई)

*(GATE) - इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अनुबंध 3 देखें।

4. **आयु सीमा** : उम्मीदवार की दिनांक 25.06.2021 तक अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

अनु.जाति/अनु.ज.जा./अ.पि.वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार होगी।

अनु.जा./अनु.ज.जाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष; अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए 10 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अनु.जा./अनु.ज.जा.) के लिए 15 वर्ष; बेंचमार्क दिव्यांग (अ.पि.वर्ग) के लिए 13 वर्ष की छूट होगी। बीआईएस में कार्यरत विभागीय उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट

- (i) ऐसे सैन्य सेवा कर्मियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष (अनु.जा/अनु.ज.जाति हेतु आठ वर्ष) जो किसी दूसरे देश अथवा उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में युद्ध की स्थिति के दौरान ऑपरेशन में विकलांग हुए हों और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया हो।
- (ii) भूतपूर्व सैनिक के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिसमें ऐसे कमीशन्ड अधिकारी और ईसीओ/एसएससीओ शामिल हैं जिन्होंने 25.06.2021 तक न्यूनतम पांच वर्ष की सैन्य सेवा की हो और जिन्हें सेवामुक्त कर दिया गया हो ;
 - (क) नियत कार्यकाल पूरा होने पर (ऐसे व्यक्तियों सहित जिनका नियत कार्यकाल एक वर्ष के भीतर पूरा हो रहा हो) अन्यथा कदाचार अथवा असक्षमता के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाने पर, अथवा
 - (ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक निशक्तता के कारण, अथवा
 - (ग) निशक्तता के कारण।
- (iii) उन ईसीओ/एसएससीओ के मामले में अधिकतम पांच वर्ष तक जिन्होंने 25.06.2021 को सैन्य सेवा के पांच वर्ष के नियत कार्यकाल (assignment)का प्रारंभिक समय पूरा किया है और जिनका नियत कार्यकाल पांच वर्ष अधिक बढ़ा दिया गया तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने प्रमाणपत्र जारी किया हो कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो चयन होने पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे।

नोटा: भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगी जिनको भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा एवं पद में पुर्ननियुक्ति) नियम, 1979, समय-समय पर यथा संशोधित में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट II: पैरा(ii) व (iii)में आयु सीमा में छूट ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिनको उनके आग्रह पर सेवामुक्त किया गया हो।

नोट III:आयु सीमा में छूट लेने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन, साक्षात्कार के समय और भर्ती प्रक्रिया के बाद के किसी चरण में बीआईएस द्वारा यथा आवश्यक होने पर प्रमाणपत्र (त्रों) की प्रति देनी होगी।

5. **चयन प्रक्रिया:** चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य पद्धति शामिल होगी:

क) GATE 2019, GATE 2020, GATE 2021 के स्कोर के आधार पर लघु सूचीयन: GATE 2019, GATE 2020, GATE 2021 के यथा लागू स्कोर के आधार पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जाएगी। वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची वैध गेट स्कोर की मेरिट के क्रम में तैयार की जाएगी। बराबरी की स्थिति में, उक्त गेट स्कोर हेतु दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के लिए मेरिट में वरिष्ठता निम्नलिखित मापदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी:

(i) उच्च प्रतिशतता रखने वाले उम्मीदवार को मेरिट में वरिष्ठता दी जाएगी। निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रतिशत की गणना की जाएगी:

प्रतिशत = (संबंधित गेट पेपर में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या - संबंधित गेट पेपर में उम्मीदवार की अखिल भारतीय रैंक)/संबंधित गेट पेपर में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या।

(ii) प्रतिशत में बराबर अंकों के मामले में भी, उम्मीदवार की आयु के आधार पर मेरिट में वरिष्ठता तय की जाएगी और जिस उम्मीदवार का जन्म तिथि पहले होगी (अर्थात् उम्र में बड़े) को उच्च वरिष्ठता दी जाएगी।

ख) **वैयक्तिक साक्षात्कार:** नई दिल्ली में वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए केवल चयनित उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या संबंधित शाखा एवं वर्ग में रिक्तियों की संख्या के चार गुना से अधिक नहीं होगी। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् उम्मीदवारों को वैयक्तिक साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग के लिए अनुमति दी जाएगी। साक्षात्कार की तारीख, समय व स्थान की सूचना ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उक्त सूचना हमारे वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी होस्ट की जाएगी।

ख) अंतिम मेरिट सूची: शाखावार मेरिट के आधार पर यथानिर्धारित गेट स्कोर का पच्चासी प्रतिशत (85%) वेटेज देकर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15 प्रतिशत (15%) वेटेज देकर प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। यदि साक्षात्कार के बाद प्राप्त कुल अंकों में टाई होती है (GATE स्कोर + साक्षात्कार अंक), तो उम्मीदवारों को निम्नलिखित वरिष्ठता मानदंडों के आधार पर प्रस्थापित किया जाता है:

- i) मेरिट सूची में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अधिक अंक के साथ GATE स्कोर के आधार पर टाई को हल किया जा सकता है।
- ii) गेट स्कोर के अप्रत्याशित मामले में भी, उम्र के मानदंडों के आधार पर, मेरिट सूची में अधिक उम्र वाले आवेदक को वरियता दी जाएगी

6.कैसे आवेदन करें : उम्मीदवार बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.inके माध्यम से 05.06.2021 से 25.06.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य माध्यम/तरीके से जमा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 4 देखें ।

7. आवेदन शुल्क जमा करना : आवेदन शुल्क 05.06.2021 से 25.06.2021 तक देय (केवल ऑनलाइन भुगतान द्वारा) रू.100/- है और यह अप्रतिदेय (नॉन-रिफंडेबल) है। अनु.जा./अनु.ज.जाति/भूतपूर्व सैनिकों/बैचमार्क दिव्यांगों/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक अंतरण शुल्क, यदि कोई हो,तो उसका वहन उम्मीदवार को करना होगा।

8.महत्त्वपूर्ण निर्देश : विवरण के लिए अनुबंध 5 देखें।

घोषणाएँ : इस प्रक्रिया से संबंधित अन्य घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.inपर प्रकाशित/उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जानकारी व अपडेट के लिए बीआईएस की प्राधिकृत वेबसाइट www.bis.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

प्रमुख
(एचआरडी)

नई दिल्ली

तारीख : 05.06.2021

अनुबंध 1
महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तें

- (i) **प्रतिभूबंध-पत्र:** प्रतियोगी परीक्षा द्वारा वैज्ञानिक-बी के पद पर नियुक्त उम्मीदवार को ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर ब्यूरो में न्यूनतम तीन वर्ष सेवा करने का प्रतिभू बंध-पत्र देना होगा। यदि वह नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व त्यागपत्र द्वारा अथवा बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थिति रहने पर सेवा छोड़ता है तो उसे अंतिम आहरित दर पर छः माह की परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को करनी होगी और यदि वह इससे कम अवधि तक सेवा में रहा हो तो उसे आहरित पूरी राशि लौटानी होगी।
- (ii) **परिवीक्षा:** 2 वर्ष
- (iii) **सेवा लाभ:** छुट्टी/एलटीसी/चिकित्सा लाभ अनुमत है जिसमें वर्ष में 15 दिन छुट्टी भुनाना शामिल है।
- (iv) **तैनाती:** भारत में कहीं भी
- (v) **कैरियर की संभावनाएं:** इस संगठन के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारी वर्तमान में 'संशोधित लचीली पूरक स्कीम' (मॉडीफाइड फ्लेक्सिबल कॉम्प्लिमेंटिंग स्कीम) के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि कार्यकारिता और मूल्यांकन पर आधारित पदोन्नति अथवा समय-समय पर यथा लागू विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों में क्रियान्वित है। अधिक जानकारी के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक संवर्ग की भर्ती) विनियमों, 2019 देखें।

अनुबंध 2
आरक्षण से संबंधित सामान्य अनुदेश

क) **बेंचमार्क वाल दिव्यांगों की परिभाषा:** "बेंचमार्क दिव्यांगों वाले व्यक्ति" से अभिप्राय है जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित न की गई हो वहां व्यक्ति निर्धारित निःशक्तता का कम से कम चालीस प्रतिशत दिव्यांग हों और इसमें वे दिव्यांग भी शामिल हैं जहां मापन योग्य दिव्यांगता परिभाषित की गई है, जैसा कि प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

ख) तदनुसार, निम्नलिखित दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं:

(i) दृष्टिहीनता और दृष्टि न्यूनता

(ii) बधिर व सुनने में दिक्कत हो

(iii) प्रमस्तिष्क पक्षाघात (cerebral palsy), कुष्ठ उपचारित (leprosy cured,) बौनापन (dwarfism), एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुर्विकास (muscular dystrophy) सहित गतिमान (locomotor) दिव्यांगता

(iv) ऑटिज्म/ मानसिक मंदता/ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी/मानसिक रोगी/बहु निशक्तता

(v) बधिर अंधता सहित उपरोक्त (i) एवं (iv) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में बहु निशक्तता।

ग) इस प्रकार का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय/प्रक्रिया के किसी चरण में अपने दावे की पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा जो कि निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को अथवा उससे पूर्व जारी किया गया हो।

घ) बेंचमार्क वाले दिव्यांग को आवश्यकता के अनुसार किसी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा।

ड) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस):** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आर.), दिनांक 31.01.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और उचित मानदंड लागू होंगे।

च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) निम्नलिखित है:

i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उप-आयुक्त/उप-कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी के वैतनिक

मजिस्ट्रेट के रैंक के नीचे नहीं)/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की रैंक से नीचे न हो

(iv) क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो।

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारूप प्रपत्र क के अनुसार हो और अपने दावे के समर्थन में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारूप प्रपत्र ख और प्रपत्र ग के अनुसार हो। अपने दावे के समर्थन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रमाणपत्र का प्रारूप प्रपत्र घ के अनुसार हो। इन वर्गों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय, केवल इन प्रारूपों में प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करना आवश्यक है और साक्षात्कार के समय में भी केवल इन प्रारूपों में मूल प्रमाणपत्र की कॉपी प्रस्तुत करना है।

छ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) है: "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017" के अनुसार प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी होगा:

(i) आवेदन में निवास स्थान के प्रमाण में उल्लिखित उम्मीदवार के निवास के जिले में ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक चिकित्सा प्राधिकारी या कोई अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी; अथवा

(ii) सरकारी अस्पताल में संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी जहां पर दिव्यांगता का इलाज किया जा रहा हो या इलाज चल रहा हो:

दिव्यांगता प्रमाणपत्र का प्रारूप "दिव्यांग व्यक्ति अधिकार नियम, 2017" में लागू प्रपत्र के अनुसार हो।

ज) उपर्युक्त वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय, ठीक से केवल इन प्रारूपों में प्रमाणपत्र की कॉपी अपलोड करना आवश्यक है और साक्षात्कार के समय भी केवल इन प्रारूपों में मूल प्रमाणपत्र की कॉपी प्रस्तुत करना है।

अनुबंध 3

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी सामान्य अनुदेश

क) समरूपी गेट(GATE) पेपर संबंधी विवरण और इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

विषय जिसके लिए रिक्तिया विज्ञापित की गई	समरूपी गेट पेपर और उसके कोड	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की डिग्री से संबंधित दिशानिर्देश
सिविल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग (सीई)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता "सिविल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की डिग्री होनी चाहिए। दोहरी विशेषज्ञता/ योग्यता के मामले में, "सिविल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
इन्सट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	इन्सट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग (आईएन)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता "इन्सट्रूमेंटेशन" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की डिग्री होनी चाहिए। दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, "इन्सट्रूमेंटेशन" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
इन्वाइरनमेंटल इंजीनियरिंग	इन्वाइरनमेंटल साइंस एवं इंजीनियरिंग (ईएस)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता "इन्वाइरनमेंटल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की डिग्री होनी चाहिए। दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, "इन्वाइरनमेंटल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
रसायन	रसायन (सीवाई)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राकृतिक विज्ञान या समकक्ष में परास्नातक डिग्री (केवल रसायन में)(अर्थात् मास्टर आफ साइंस) होनी चाहिए। दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, "रसायन" डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग	टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फ़ाइबर साइंस(टीएफ)	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता "टेक्सटाइल" इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की डिग्री होनी चाहिए।

		दोहरी विशेषज्ञता/योग्यता के मामले में, “टेक्सटाइल” इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी अनिवार्य योग्यता की डिग्री में मुख्य विशेषज्ञता के रूप में होनी चाहिए।
--	--	--

ख) यदि अभ्यर्थी इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या इसके समकक्ष में अंतिम स्नातक की डिग्री में ग्रेड प्राप्त कर रहा है, तो उनका ग्रेड अपेक्षित प्रतिशत के बराबर होना चाहिए [अर्थात कुल 60% अंक (एससी/ एसटी अभ्यर्थियों के लिए 50%)] ।

ग) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलव में की गई गणना में इंगित करना होगा। जहां सीजीपीए ओजीपीए /दिए गए है, वहां उसी को प्रतिशत में परिवर्तित करके उसे ऑनलाइन आवेदन में इंगित किया जाए। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह साक्षात्कार के समय संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी किए गए विधिवत प्रतिशत को रूपांतरण सूत्र दें, इसमें विफल होने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

प्रतिशत की गणना : अभ्यर्थी को प्रतिशत सभी विषयों के सेमेस्टर (रों) वर्ष (ओं)/ के अंकों का प्रतिशत प्राप्तांक से विभाजित करके निकालना होगा या वह ऑनर्स वैकल्पिक /अति/ रिक्त वैकल्पिक विषय यदि कोई हो ,। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां ऑनर्स के आधार पर केवल श्रेणी ग्रेड /दिए जाते हैं। प्रतिशत से आने वाले अंश को नजर अंदाज कर दिया जाएगा अर्थात, 59.99% को 60% से कम माना जाएगा और 49.99% को 50% से कम माना जाएगा ।

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बीआईएस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों को अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और वे सीधे आवेदन कर सकते हैं।

सभी शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी विनियामक निकाय द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/ संस्थान/ बोर्ड से होनी चाहिए। परिणाम दिनांक **25.06.2021** (आवेदन पत्र की समाप्ति की तारीख) तक या उससे पहले का होनी चाहिए। पात्रता के लिए जो परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है, वह तारीख मार्कशीट/प्रोविजनल प्रमाणपत्र पर प्रदर्शित होनी चाहिए।

मल्टीपल आवेदनों को खारिज किया जा सकता है।

अनुबंध 4 आवेदन कैसे करें

आवेदन करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका/ प्रक्रियाएँ

क. आवेदन पंजीकरण .

ख. दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड यथा प्रमाण पत्र/ गेट (GATE) प्राप्तंक / फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

ग. फीस का भुगतान

उम्मीदवार दिनांक 05.06.2021 को 11:00 बजे से दिनांक 25.06.2021 को 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अन्य किसी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पंजीकरण से पूर्व ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु

उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले निम्नलिखित की व्यवस्था करनी चाहिए:

- i) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन तथा अपलोड करने के लिए उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन करें कि वे मार्गदर्शिका में दिए गए अपेक्षित विशिष्टियों के अनुरूप हैं।
- ii) निम्नलिखित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों को स्कैन करें : फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म प्रमाण पत्र, GATE प्राप्तंक, पहचान पत्र, आवश्यक शैक्षणिक डिग्री और अंक तालिका , उच्चतर / अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक तालिका (यदि कोई हों तो), जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू हों)
- iii) वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हों जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रहना चाहिए। बीआईएस परीक्षा आदि के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी के जरिए बुलावा पत्र भेजा जाएगा।
- iv) आवेदन फीस / सूचना प्रभार [दिनांक 05.06.2021 को 11:00 बजे से दिनांक 25.06.2021 को 23:59 बजे तक](केवल ऑनलाइन भुगतान मोड द्वारा) तक दोनों तिथियों सहित] रु .100/- है। अनु.जा./अनुज.जा./भूतपूर्व सैनिक /बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों/महिला उम्मीदवारों से किसी प्रकार की फीस की अपेक्षा नहीं है।

आवेदन फीस / सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक ट्रांससक्शन प्रभारों का भुगतान उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।

क. आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवारों को बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाना अपेक्षित है और “अप्लाई ऑनलाइन” विकल्प दबाना है जो एक नया स्क्रीन खोलेगा।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए “क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन” टैब चुने और नाम, संपर्क विवरण तथा ईमेल आईजी भरें। सिस्टम द्वारा एक अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट होगा तथा स्क्रीन पर दिखाई देगा। उम्मीदवार को अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट करना चाहिए। अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को सूचित करते हुए एक ईमेल एवं एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. आवेदन पत्र में सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए।
4. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पूरा नहीं कर पाता है, तो वह “सेव एण्ड नेक्सट” टैब चुन कर पहले से दर्ज डाटा को सेव कर सकता/ती है।
5. आवेदन में उम्मीदवार का नाम तथा उसके पिता/ पति आदि का नाम की सही वैसी ही वर्तनी होनी चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र/ पहचान प्रूफ/ अंक तालिकाओं में दिखाई देता है। कोई परिवर्तन / कांट-छांट मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।
6. उम्मीदवार आवेदन फार्म के अन्य विवरण भर कर आगे बढ़ सकते हैं।
7. अभ्यर्थी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म प्रमाण पत्र, GATE प्राप्तांक, पहचान पत्र, आवश्यक शैक्षणिक डिग्री और अंक तालिका, उच्चतर / अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक तालिका (यदि हों तो), जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) को अपलोड कर सकते हैं।
8. अभ्यर्थी के पहचान का सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़/पहचान पत्र स्वीकार्य है : आधार कार्ड / पासपोर्ट/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक/वैध विश्वविद्यालय या कॉलेज पहचान पत्र/ सरकारी या सार्वजनिक उपकरण संगठनों के कर्मचारियों का पहचान पत्र
9. फाइनल सबमिशन से पूर्व प्रीव्यू टैब को दबाकर उम्मीदवार अपने संपूर्ण आवेदन का पूर्व प्रदर्शन कर सकते हैं।

10. यदि अपेक्षित हो तो विवरण संशोधित करें और अपलोडेड फोटोग्राफ, हस्ताक्षर ,तथा आप द्वारा भरे गए सभी विवरण सही होने पर 'फाइनल सबमिट'दबाएँ।
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और स्वयं उनका सत्यापण करें क्योंकि अंतिम रूप से भरे गए आवेदनों बाद में कोई भी सुधार या परिवर्तन संभव नहीं किया जाएगा ।

ख) फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन करने ओर उन्हें अपलोड करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

फोटोग्राफ इमेज

- क. फोटोग्राफ कलर में अभी हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए ।
- ख. पिक्चर रंगीन हो, इसके पीछे का बैक ग्राउंड हल्के रंग का, अधिमानतः सफेद रंग का हो। फोटो लेते समय चेहरा तनाव रहित हो तथा सीधे कैमरे की ओर देखें ।
- ग. यदि पिक्चर लेते समय धूप खिली हुई है, तो सूरज आपके पीछे हो अथवा आप छाया में खड़े हों, ताकि आपकी आँखें अधखुली न रहें और कोई गहरी छाया फोटो पर न पड़े ।
- घ. यदि आप फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो ।
- ङ. यदि आप चश्मा पहनते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी आँखें साफ दिखाई दें ।
- च. टोपी, हैट अथवा गहरे चश्मे पहन कर फोटो खिचवाना स्वीकार्य नहीं है । सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक वस्त्र की अनुमति है, लेकिन इससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए।
- छ. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 200KB से अधिक न हो ।
- ज. यदि फोटो, फोटो के स्थान पर अपलोड नहीं की गई है, तो परीक्षा में प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी/मना कर दिया जाएगा । उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

झ. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित साइज की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

हस्ताक्षर (सिग्नेचर) इमेज :

- क. आवेदक को सफेद पेपर पर काले इंक पैन से साइन करने हैं ।
- ख. हस्ताक्षर आवेदक को ही करने हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ।
- ग. कॉल लैटर तथा परीक्षा के समय अटेंडेंस शीट पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मैच करने चाहिए । यदि हस्ताक्षर मैच नहीं करते हैं, तो उम्मीदवार को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है।
- घ. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 200KB से अधिक न हो ।
- ड. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

अन्य दस्तावेज़

- क. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का साइज 1MB से अधिक न हो।
- ख. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे ।

फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- क) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म प्रमाण पत्र, गेट(GATE) प्राप्तांक, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) / तात्कालिक प्रमाण पत्र और समेकित अंक तालिका , उच्चतर / अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और समेकित अंक तालिका (यदि कोई हों तो), जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) और पहचान पत्र को अपलोड करने के लिए अलग अलग लिंक होंगे।
- ख) संबंधित “अपलोड” लिंक पर क्लिक करें।
- ग) ब्राउज करें और उस लोकेशन को सैलेक्ट करें, जिसमें स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ सुरक्षित किए गए हैं ।
- घ) क्लिक करके फाइल सैलेक्ट करें ।
- ड) ‘अपलोड’ बटन को क्लिक करें ।

ग.फीस का भुगतान

ऑनलाइन मॉड

1. आवेदन फार्म भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित अनुदेशों द्वारा पूरी की जा सकती है।
2. भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदनफार्म में भुगतान की सूचना सबमिट करने के बाद सर्वर से इंटीमेशन की प्रतीक्षा करें। दोहरा चार्ज लगने से बचने के लिए बैंक अथवा रिफ्रेश बटन को न दबाएँ
4. ट्रांजेक्शन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ई-रसीद जनरेट होगा ।
5. यदि ई-रसीद जनरेट नहीं होती, तो इस प्रकार पेमेंट असफल रहा है । भुगतान के असफल रहने पर उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए भुगतान की प्रक्रिया को दोबारा रिपिट करें ।
6. उम्मीदवारों के लिए ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि यदि ये नए जनरेट नहीं होते, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सफल नहीं हुआ होगा ।
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए : सभी शुल्क भारतीय रूपयों में सूचीबद्ध किए गए हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका बैंक उस समय लागू एक्सचेंज रेट के आधार पर इस राशि को स्थानीय मुद्रा में कन्वर्ट कर देगा।
8. अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद कृपया ब्राउजर विंडो को बंद कर दें ।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर सहित अपलोड किए गए किसी भी दस्तावेज़ के अस्पष्ट होने के मामले में आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन में फोटो के स्थान पर फोटो, हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर और अन्य सभी दस्तावेज़ आवेदन में निर्धारित स्थानों पर ही अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो/हस्ताक्षर/गेट (GATE) प्राप्त/ शैक्षणिक प्रमाणपत्र /

जन्म प्रमाण पत्र / पहचान पत्र उचित रूप से अपलोड नहीं किए जाने के मामले में आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।

अनुबंध 5

अन्य महत्त्वपूर्ण अनुदेश

- i. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ii. जो उम्मीदवार वर्तमान में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्धसरकारी कार्यालय/सार्वजनिक / क्षेत्रके उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- iii. भर्ती की प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
- iv. किसी भी रूप में कन्वैसिंग डिस्क्वालिफिकेशन होगी ।
- v. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्टेज पर उम्मीदवार द्वारा यदि गलत सूचना दी जाती है तथा/अथवा प्रक्रिया का उल्लंघन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया / से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और भविष्य में उन्हें बीआईएस में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि इस प्रकार की घटना वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं पकड़ी जाती, किंतु बाद में पकड़ी जाती है तो इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन पूर्वप्रभाव से प्रभावी होगी।
- vi. यदि इस विज्ञापन के किसी संस्करण में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के संस्करण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बीआईएस की वेबसाइट पर दिया गया अंग्रेजी संस्करण लागू माना जाएगा ।
- vii. बाहर से बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा के प्रमाण (रेल/बस टिकट) देने पर सबसे छोटे रूट से आने और जाने का रेलवे द्वितीय श्रेणी का किराया/बस का किराया अथवा / वास्तव में किया गया खर्च, जो भी कम हो, दिया जाएगा । यह छूट उन उम्मीदवारों को नहीं दी जाएगी जो केन्द्रराज्य सरकार/, निगम, सार्वजनिक उपक्रमस्थानीय / सरकार, संस्थान तथा पंचायत में पहले से ही सेवारत हैं ।
- viii. बीआईएस किसी अनधिकृत व्यक्ति, संस्था द्वारा दिए गए किसी आवेदन/गलत सूचना / के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों के विवरणों का किसी से सांझा न करें।
- ix. उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रूप से फिट होने और बीआईएस में लागू आचरण नियमों के अधीन है । बीआईएस का निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- x. बीआईएस कारण बताकर या बिना कोई कारण बताए किसी भी मानदंड, चयन पद्धति तथा नियुक्ति को बदलने/रद्द करने), संशोधित करने / जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

प्रपत्र क

अपने दावे के समर्थन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले /
उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीश्रीमती/कुमारी/* -----

सुपुत्रसुपुत्री/*गाँव/नगर -----*-----

जिलामंडल/*राज्य/संघ शासित क्षेत्र -----*-----
--जातिजनजाति/*----- से संबंध रखता है, जो कि निम्न रूप से
अनुसूचित जाति: अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है/
*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,1950 ;
*संविधान (अनुसूचित जाति)संघ शासित क्षेत्र) आदेश (,1951 ;
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश,1951 ;
[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश),1956 ; बम्बई पुनर्गठन
अधिनियम,1960 ; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966 ; हिमाचल प्रदेश अधिनियम,1970 ;
उत्तरपूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम-,1971 ; संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (संशोधन) अधिनियम,1976 , मिजोरम राज्य अधिनियम,1986 , अरुणाचल प्रदेश
राज्य अधिनियम,एवं गोवा 1986 , दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम,के अनुसार 1987
यथा संशोधित]
- *संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956 ;
*संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (, अनुसूचित
जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम,द्वारा यथा संशोधित 1976 ;
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962 ;
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962 ;
*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964 ;
*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश,1967 ;
*संविधान (गोवा), दमन और दीव)अनुसूचित जाति आदेश (,1968 ;
*संविधान (गोवा), दमन और दीव)अनुसूचित जनजाति आदेश (,1968 ;
*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970 ;

- *संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978 ;
- *संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978 ;
- *संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989 ;
- *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990 ;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991 ;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम,1991 ;
- *संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996 ;
- *अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 ;
- *संविधान अनुसूचित जातिआदेश (संशोधन) अधिनियम (,2002 ;
- *संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 ;
- *संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम,2002 ;

#2. एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे में प्रवासकरने वाले अनुसूचित/ जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू।/

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इन्हें जारी / किया जाता है

श्रीश्रीमती/कुमारी.....के माता/पिता/,

श्रीश्रीमती/कुमारी.....गांव/कस्बे.....जिला/ मण्डल.....राज्य/संघ/

क्षेत्रजोकि..... जाति/ जनजाति के है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

की मान्यता प्राप्त है -----राज्य/संघ राज्य में है-----जिसे.....(प्राधिकारी का

ना) ने सं..... दिनांक..... के द्वारा जारी किया है।

श्री*श्रीमती/कुमारी/..... जिनका परिवार आमतौर

पर*गांव/कस्बा.....जिलासंभाग*.....राज्य/संघ राज्य में /

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

मुहर

कार्यालय राज्य/संघक्षेत्र की

दिनांक:.....

स्थान:.....

नोट: यहां प्रयुक्त निबंधन “आमतौर पर रहना” का वही अर्थ होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ,1950 की धारा 20में है।

---जो लागू नहीं हैं उन शब्दों को हटा दें।# जो पैरा लागू नहीं है उसे भी हटा दें।

जाति जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियोंकी सूची/

- 1.जिला मजिस्ट्रेटअपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेटर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल / डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुकमजिस्ट्रेटकार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/
- 2.चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी / मजिस्ट्रेट
- 3.राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।
- 4.उस क्षेत्र का उप मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा-अपने परिवार के साथ सामान्यतः निवास करता हो

प्रपत्र ख

अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा उनके दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने हेतु
प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
श्री.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल.....
.....राज्य/संघ राज्य के समुदाय के व्यक्ति हैं जोकि
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के संकल्प सं. दिनांक.....
के तहत पिछड़ी जाति के लिए मान्यता प्राप्त हैं:

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार राज्य के
जिला/मण्डल.....राज्य/संघ राज्य..... में सामान्य रूप से रहता
है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993*** की अनुसूची
के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट

उपायुक्त इत्यादि

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाणपत्र जारी कर रहे प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख -
करना होगा जिसमें कि उम्मीदवार की अन्य पिछड़ा वर्ग में उल्लिखित है।

** समयसमय पर यथासंशोधित-। जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट: "सामान्यरूप से रहता है"का वही अर्थ होगा जोकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के

खंड 20 में है।

प्रपत्र ग

ओबीसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला घोषणा का फार्म (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं.....पुत्र/पुत्रीगांव/कस्बा/शहर.....जिला.....राज्य.....एतद्वारा घोषित करता हूं कि मैं.....समुदाय से संबंधित हूं जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्थापना(एससीटी)दिनांक 8.9.1993 के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त दिए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 की अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शाई व्यक्तियों/वर्ग(क्रिमीलेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता.....

प्रपत्र घ

आर्थिक पिछडा वर्ग के द्वारा जमा कराया जाने वाला आय एवं संपत्ति का प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाण-पत्र सं.

दिनांक:

..... वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....स्थायी निवासी.....
गावं/गली.....पोस्ट ऑफिस.....जिला.....राज्य/संघ राज्य.....पिन
कोड.....जिनका फोटोग्राफ नीचे सत्यापित किया गया है वे आर्थिक पिछडा वर्ग से
है चूंकि उनके परिवार की सकल वार्षिक आय वित्त वर्ष..... में 8 लाख से कम है ।
उनके परिवार के पास निम्न में से कोई संपत्ति नहीं है***

- I. 5 एकड या उससे ज्यादा कृषि भूमि ।
- II. वर्गफीट या ज्यादा 1000 का आवासीय प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट। 100
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं में में गज या उससे बड़ा आवासीय प्लॉट। 200

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... ऐसी जाति से है जिसे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती और अन्य पिछडा वर्ग के रूप में मान्यता नहीं है (केंद्रीय सूची)।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक की
सत्यापित
नवीनतम
फोटोग्राफ

*नोट 1 सभी स्रोतों से आय अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि.

****नोट 2** निबंधन "परिवार" में वह व्यक्ति जोकि लाभार्थी है वह स्वयं, उसके माता पिता और 18 वर्ष से कम के भाई-बहन उसके अपने पति/पत्नि और 18 वर्ष से कम के बच्चे शामिल है ।

***** नोट 3:**ईडब्लूएस दर्जे के निर्धारण के लिए होने वाले कुल भूमि या संपत्ति परीक्षण के लिए एक परिवार के विभिन्न स्थानों /शहरों की संपत्ति को जोड़ा गया है।